प्रतिलिपि पत्र संख्या–सम्ब0 332/सत्तर–6–2011–2 (124)/2010 दिनांक 02अगस्त, 2011 द्वारा अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ सम्बोधित कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर ।

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब./1578/2011 दिनांक 30.6.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश, 2007) की धारा–37(2) के अधीन एस0आर0 सिंह, आर0बी0 सिंह महाविद्यालय, मोतिहां, इलाहाबाद को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी साहित्य, गृहविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, संस्कृत, समाजशास्त्र, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं राजनीतिशास्त्र विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2010–11 के परीक्षाफल के अभाव में दिनांक 01.07.2011 से शैक्षिक सत्र 2011–12 हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:–

1. शैक्षणिक सत्र 2010–11 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुसार होने की स्थिति में सत्र 2011–12 के सम्बद्धता की सशर्त पूर्वानुमति के प्रश्नगत आदेश को सम्बद्धता (स्थाई) की बिना किसी शर्त के पूर्वानुमति मानते हुए दिनांक 01.07.2011 से विश्वविद्यालय स्तर से सम्बद्धता (स्थाई) आदेश निर्गत किए जाएंगे तथा एतद्विषयक आदेश की प्रति तत्समय शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा ।

2. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं समय–समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी ।

3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी ।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/3026/2011 दिनांक 05/11/11

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित :–

1. अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 02अगस्त, 2011के अनुपालन में इस आशय से पृष्ठांकित है कि प्रश्नगत महाविद्यालय का वर्ष 2010–2011 का परीक्षाफल घोषित हो गया है जो कि शासन के मानकानुसार 60 प्रतिशत से अधिक है । अतः महाविद्यालय को वर्णित पाठ्यक्रम के विषयों में दिनांक 01.7.2011 से सम्बद्धता (स्थाई) प्रदान की जाती है ।
2. प्रबन्धक(प्रबन्ध समिति) एस0आर0 सिंह, आर0बी0 सिंह महाविद्यालय, मोतिहां, इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित है कि शासन के सम्बद्धता आदेश के उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें। **विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्राचार्य, शिक्षकों का अनुमोदन पत्र, नियुक्ति पत्र, ज्वानिंग पत्र एवं अनुबन्ध पत्र(छायाचित्र सहित) तथा प्रबन्धक का शपथ पत्र (छायाचित्र सहित) विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाना एवं शासन के सम्बद्धता पत्र में इंगित कमियों की पूर्ति समय–सीमा के अन्दर कराया जाना सुनिश्चित करें । अन्यथा की स्थिति में प्रदत्त सम्बद्धता की अनुज्ञा वापस लिए जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।**
3. सहायक कुलसचिव(परीक्षा) सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।
4. सहायक कुल सचिव (अतिगोपनीय), सी0एस0जे0एम0वि0वि0, कानपुर ।
5. सिस्टम मैनेजर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।
6. इंचार्ज, ई0डी0पी0सेन्टर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव